

गूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईख्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

मौखिक अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 108/2023
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. रसप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलकरण सिंह पुत्र बुटा सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अवतार सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा. रामबिलासपुर हाल रामा तह. व जिला मोगा (पंजाब)
- वादीगण

बनाम

1. नत्था सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख सा.रामबिलासपुर हाल रामा तह.व जिला मोगा (पंजाब)
2. गुरदेव कौर पत्नी बजीर सिंह जाति जटसिख सा.रामबिलासपुर हाल रामा तह.व जिला मोगा (पंजाब)
3. गुरुद्वारा सिंह सभा समिति चक प्रताप नगर सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया।
4. जगरूप सिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. जोगेन्द्र सिंह पत्नी सुन्दर सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तीतर सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. नक्षत्र सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. नुपा सिंह पत्नी महा सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. नाजर सिंह पुत्र महा सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. बुटा सिंह पुत्र महा सिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. बलदेव सिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख सा.चक प्रताप नगर तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक :- 4-6-2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारते इनफिसाल कतई रूबरू
डिक्री बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु वकील वादीगण भिन जाभिन मुदई.....भिन जानिव मुदायला पेश होकर
हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार
दी जाती है:-

क. सं.	नाम काशतकार मय वलदियत एवं राकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	1 अवतार सिंह 1.012 हि. 2 नत्था सिंह 0.506 हि. पि. गुरनाम सिंह 3 गुरदेव कौर पत्नी बजीर सिंह 4. 552 हि. जाति जट सिख निवासी रामबिलासपुर रामा 4 गुरुद्वारा सिंह सभा समिति 0.253 हि. 5 जगरूप सिंह 2.687 हि. 6 नुपा सिंह 4.205 हि. 7 नाजर सिंह 4. 205 हि. 8 बुटा सिंह 4.204 हि. पि. महा सिंह 9 जोगेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 4.730 हि. 10 तीतर सिंह 0.759 हि. 11 नक्षत्र सिंह 0. 759 हि. पि. हजूर सिंह 12 बलकरण सिंह पुत्र बुटा सिंह 0. 506 हि. राहिन आरएमजीबी शाखा 10 एनटीडब्ल्यू चकप्रतापनगर वलदेव सिंह 0.759 हि. 14 सुखदेव सिंह 0.759 हि. पि. मान सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर खातदार	प.मं. मोरजण्ड सिखान के चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 59/32 खाते का योग 2.277 है. (विवादित श्रेणी का है)	अवतार सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी रामबिलासपुर हाल रामा बलकरण सिंह पुत्र बुटा सिंह राहिन आरएमजीबी शाखा 10 एनटीडब्ल्यू चकप्रतापनगर गुरुद्वारा सिंह सभा समिति चक प्रतापनगर रसप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक प्रतापनगर	प.न. 151/171 मु.न. 25 का कि.न. 8.13,19,20/1.012 कुल-1.012 है. प.न. 151/171 मु.न. 25 का कि.न. 21,22/0.506 कुल-0.506 है. प.न. 151/170 मु.न. 24 का कि.न. 14/0.253 कुल-0.253 है. प.न. 151/170 मु.न. 24 का कि.न. 24/0.253, प.न. 151/171 मु.न. 25 का कि.न. 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल-0.506 है.

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
के भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं है
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/1199 दिनांक 15.04.2025
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों
को अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...... मुब्लिक...... बाबत...100... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसलियाबी तक......को अदा करे।
बसबत मेरे दस्ताखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...4.6.2022...को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
मुनियिक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया
संगरिया